

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA



फैक्स व दूरभाष: 0091-135-2744064  
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064  
Website/वेबसाइट: www.surveyofindia.gov.in  
E-Mail/ई-मेल: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय  
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 1087 / 1800

दिनांक: 21 फरवरी 2022

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र/ विशिष्ट क्षेत्र/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/ उत्तरी क्षेत्र/ मध्य क्षेत्र ।

निदेशक: उड़ीसा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/ जी०आई०एस०एण्ड आर०एस०/ मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी०डी०सी०/ पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०सी०/ कर्नाटक जी०डी०सी०/ उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी०डी०सी०/ महाराष्ट्र एवं गोवा जी०डी०सी०/ पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीबढ़ जी०डी०सी०/ मध्य प्रदेश जी०डी०सी० ।

स्थापना एवं लेखाधिकारी (प्रशासन)(म०स०का०) ।

विषय: मानचित्रकार ग्रेड- II से मानचित्रकार ग्रेड- I के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति पर तैनाती के सम्बन्ध में (डी०पी०सी० 2019 से 2022) ।

मानचित्रकार ग्रेड- I के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 के वेतनमान में नियमित आधार पर पदोन्नति पर मानचित्रकार ग्रेड- II के विषय में निम्नलिखित स्थानान्तरण/ तैनाती के आदेश जारी किये जाते हैं:-

क्रम सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	SMT KABITA BARIK	O-GDC	O-GDC
2.	SHRI A.D.SHYAM SUNDER	GIS & RS Dte	GIS & RS Dte
3.	SMT B DKHAR(ST)	Meg. & Ar Pd GDC	Meg. & Ar Pd GDC
4.	SHRI MAHABIR YADAV	WB and Sikkim GDC	WB and Sikkim GDC
5.	SMT AMARENDRA DALAI	O-GDC	O-GDC
6.	SHRI Y BALASWAMY(SC)	Karnataka GDC	Karnataka GDC
7.	SHRI TARUN GUPTA	SGO	SGO
8.	SHRI D K SHARMA	SGO	SGO
9.	SHRI RAJEEV SINGH(SC)	UK & West UP GDC	UK & West UP GDC
10.	SMT K REHANA	GIS & RS Dte	GIS & RS Dte
11.	SHRI R D CHAVAN(SC)	M&G GDC	M&G GDC
12.	SHRI SHAKTI BHUSHAN(SC)	Pb, Har. & Chd. GDC	Pb, Har. & Chd. GDC
13.	SMT SHAIL BALA KHANDURI	Karnataka GDC	Karnataka GDC
14.	SMT KALPANA RAIKWAR	MP GDC	MP GDC
15.	SHRI GOVIND SINGH	UK&WUP GDC	UK&WUP GDC

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 21-03-2022 तक अवश्य सूचित करें ।

Contd....2/-



4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।
6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर० 22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।
8. उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर०(संग्रह 11) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी ।
9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*
10. पदोन्नत सभी अर्थार्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।

30/12

(डा० यू०एन० मिश्र)

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

**प्रतिलिपि:**

1. अपर महासर्वेक्षक, तकनीकी, म०स०का० ।
2. उप महासर्वेक्षक: सतर्कता, म०स०का०/प्रशासन, म०स०का०/एच०आर०, म०स०का०/तकनीकी, म०स०का०/पूर्वी क्षेत्र/ विशिष्ट क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/ उत्तरी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र
3. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
4. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/कोलकाता/जयपुर ।
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे०सी०एम० अनुभाग (म०स०का०) ।
6. महासचिव, कार्टोग्राफिक एसोसिएशन ।
7. गोपनीय सहायक (म०स०का०) ।
8. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
9. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of Contempt Petition (C) No.314/2016 in SLP(C) No. 4831/2012 Samta Andolan Samiti through its President vs Sanjay Kothari and others mentioned in DoP&T's OM No. 360/12/2016-Estt. (Res) dated 30-09-2016.

Place:

Dated:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अघोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूं कि मैं Contempt Petition (C) No.314/2016 in SLP (C) No. 4831/2012 Samta Andolan Samiti through its President vs Sanjay Kothari and others के निर्णय का पालन करूंगा जोकि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360/12/2016-Estt. (Res) dated 30-09-2016 में दर्शित है ।

स्थान

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित